रा. स्टो सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 1995/ज्येष्ठ 18, 1917
No. 322] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 1995/JYAISTHA 18, 1917

कृषि मन्त्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 1995

का.आ. 506(अ).—केन्द्रीय सरकार ने इस बात की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था कि क्या भारत में कतिपय कीटनाशियों के निरन्तर उपयोग से मनुष्यों या जीव जन्तुओं के लिए ऐसा जोखिम हो सकता है कि जिससे तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक या समीचीन है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् अपना यह समाधान कर लेने पर कि बी एच सी का उपयोग मनुष्यों और जीव जन्तुओं के स्वास्थ्य के लिए परिसंकटमय है, तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, सब्जियों, फलों, तिलहनों फसलों तथा खाद्यान्नों के परिरक्षण के लिए बी एच सी के उपयोग पर पाबंदी लगाते हुए आदेश पारित किए थे जो का.आ. 420(अ), तारीख 21-6-91 के साथ पठित का.आ. 824(अ) तारीख 30 अक्तूबर, 1990 के अधीन प्रकाशित किए गये थे।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा कृषि दोनों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ देश में बी एच सी के निरन्तर उत्पादन तथा उपयोग का और पुनर्विलोकन करने के लिए एक अन्य उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और उक्त रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् अन्य बातों के साथ-साथ कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन बी एच सी तकनीकी ग्रेडी सामग्री और इसके सूत्रों के विनिर्माण के लिए नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर न किए जाने का विनिश्चय किया था और राज्यों के कृषि निदेशकों (सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों) को ऐसी फर्मों को बाबत जिन्हें बी एच सी सूत्रों के विनिर्माण के लिए अभी सुविधाएं जुटानी है एक पत्र सं. 17-7-91 पीपी। तारीख 28-3-1992 जारी किया था, जिसमें विनिर्माण एककों

(तकनीकी/सूत्रों दोनों) की स्थापना करने के लिए विनिर्माण अनुज्ञप्तियों को रद्द करने तथा बी एच सी तकनीकी श्रेणी सामग्री या इसके सूत्रों के विनिर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में बी एच सी के निरन्तर विनिर्माण और उसके उपयोग के संबंध में दो वर्ष के पश्चात् लम्बित पुनर्विलोकन तक नई विनिर्माण अनुज्ञप्तियां देने से इन्कार करने के अनुदेश अन्तर्विष्ट थे ।

और केन्द्रीय सरकार देश में बी एच सी के निरन्तर विनिर्माण और उसके उपयोग के बारे में नये सिरे से पुनर्विलोकन करने के बाद उक्त अधिनियम की धारा 34 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप आदेश का प्रस्ताव पारित करती है अर्थात् :—

"प्रारूप आदेश"

(i) बी एच सी के विनिर्माण और उपयोग को क्रमिक रूप से समाप्त किया जायेगा और विद्यमान विनिर्माताओं द्वारा उसकी तकनीकी श्रेणी सामग्री/सूत्रों को मार्च, 1996 तक 50 प्रतिशत की सीमा तक कम किया जायेगा और मार्च, 1997 तक उस पर पूर्ण पाबंदी लगा दी जायेगी तथा बी एच सी को बाबत विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र 1-4-1997 से रद्द कर दिए जायेंगे । साथ ही साथ बी एच सी के उत्पादन/सूत्रों के लिए नए रजिस्ट्रीकरण/विनिर्माण अनुज्ञप्तियां दी जाने पर पाबंदी जारी रहेगी ।

(ii) बी एच सी विनिर्माण एकक (तकनीकी और सूत्र दोनों) की स्थापना के लिए बी एच सी के विभिन्न रजिस्ट्रीकर्ताओं को जारी की गई विनिर्माण अनुज्ञप्तियां ऐसी फर्मों/व्यक्तियों की बाबत जो बी एच सी सूत्र के विनिर्माण के लिए अभी तक सुविधा जुटाने वाले हैं रद्द कर दी जायेंगी ।

(iii) बी एच सी बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे रजिस्ट्रीकर्ताओं की बाबत जिन्हें अभी विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी है व्यपगत हुआ समझा जायेगा ।

(iv) राज्य सरकारें, राज्यों में इन आदेशों के निष्पादन करने के लिए ऐसी कार्रवाई करेंगी जो वे उचित समझें ।

अतः अब प्रारूप आदेश सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिसे उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त आदेश की बाबत आमंत्रित आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन के **अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् अंतिम अधिसूचना** के लिए या अन्यथा विचार किया जायेगा ।

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त आदेशों की बाबत इस प्रकार उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पहले प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण) कृषि मन्त्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेजें ।

[फा. सं. 17/7/91-पी.पी.]

इन्द्रजीत सिंह मल्होत्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 8th June, 1995

S.O. 506(E).—Whereas the Central Government had set up an Expert Committee with a view to investigating as to whether the continued use of certain insecticides in India would involve such risk to human beings or animals as to render it expedient or necessary to take immediate action;

And whereas the Central Government after considering the recommendations of the said Expert Committee and after consultation with the Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) having satisfied itself that the use of BHC involves health hazards to human beings, animals and environment passed orders banning the use of BHC on vegetables, fruits, oilseed-crops and preservation of foodgrains, which were published under S.O. 824(E) dated the 30th October, 1990 read with S.O. 420(E) dated 21-6-1991;

And whereas in pursuance of the recommendations of the said Expert Committee, the Central Government constituted another High Level Expert Committee to review further the continued production and use inferalia of BHC in he country, both for public health and agriculture;

And whereas the Central Government after considering the recommendations of the said High level Expert Committee and after consultation with the said Registration Committee decided inter alia not to grant new Certificate of Registration for manufacture of BHC technical grade material and its formulations under the Insecticides Act, 1968 and issued a letter No. 17/7/91-PPI dated 28-1-1993 to the State Directors of Agriculture (All States/UTs) containing instructions to cancel the manufacturing licences granted to set up manufacturing units (both technical and formulations) in respect of those firms which were yet to create facilities for the manufacture of BHC formulations and to refuse new manufacturing licences either for the manufacture of BHC technical grade material or its formulations, pending a fresh review by the Central Government after two years, as to the continued manufacture and use of BHC in the country;

And whereas the Central Government having made a fresh review about the continued manufacture and use of BHC in the country, proposes to pass the following draft orders in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 34 of the said Act, namely :—

"Draft Orders"

"(i) The manufacture and use of BHC shall be phased out progressively and the production of its technical grade material formulations by the existing manufacturers reduced to the extent of 50 per cent by March, 1996 and totally banned by March, 1997; and the certificate of Registration in respect of BHC issued to various firms persons shall be cancelled w.e.f. 1-4-1997. Meanwhile, ban on grant of new registration manufacturing licences for production formulation of BHC shall continue.

(ii) The manufacturing licences issued to various registrants of BHC for setting up of BHC manufacturing units (both technical and formulation) shall be cancelled in respect of those firms persons which are yet to create facilities for manufacture of BHC formulations.

(iii) The Certificate of registration in respect of BHC would be deemed to have lapsed in respect of those registrants who are yet to obtain manufacturing licences.

(iv) The State Governments shall take such steps as it may deem fit for carrying into execution of these orders in that State."

Now, therefore, the draft orders are hereby published for the information of all persons likely to be effected thereby to send objections and suggestions, if any, with respect to the said orders and notice is hereby given that the draft orders shall be taken into consideration for final notification or otherwise on or after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Any objections or suggestions which may be received with respect to the said orders, before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Central Governments;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary "(Plant Protection)" Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation), Krishi Bhawan, New Delhi-110001.

[F. No. 17(7 91-PPI]

I. S. MALHI, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995